



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 23, 1994/वैशाख 3, 1916  
No. 202] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 23, 1994/VAISAKHA 3, 1916

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1994

का.प्रा. 326 (अ).—संविधान के अनुच्छेद 243ड के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, एतद्वारा निदेश देते हैं कि संविधान के भाग IX के उपबंध निम्नलिखित अपवादों और प्राशांशनों के अधीन दायरा और तात्पर्य हवेली संघ राज्य क्षेत्र पर लागू होंगे, अर्थात् :—

- (i) अनुच्छेद 243ग में खंड (5) में, उपखण्ड (ख) में, "उसके चुने हुए सदस्यों द्वारा और उनमें से" शब्दों के स्थान पर "ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा उसके चुने गए सदस्यों में से और ऐसे चुने गए सदस्यों" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ;

(ii) अनुच्छेद 243 घ, में, खण्ड (4) में—

(1) प्रारंभ के भाग में “अनुसूचित जाति” शब्द हटा दिए जायेंगे ;

(2) प्रथम परन्तुक में—

(क) “अनुसूचित जाति और” शब्द हटा दिए जायेंगे ;

(ख) “राज्य में अनुसूचित जाति के या” शब्द हटा दिए जायेंगे ;

(iii) अनुच्छेद 243 झ में—

(क) खण्ड (1) में “राज्य के राज्यपाल” शब्दों के स्थान पर “राष्ट्रपति” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा और “राज्यपाल” शब्द के स्थान पर “राष्ट्रपति” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ख) खण्ड (1) के उपखण्ड (ग) में “राज्यपाल” शब्द के स्थान पर, “राष्ट्रपति” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(iv) (क) अनुच्छेद 243 ट में—

(1) खण्ड (1) में “राज्यपाल” शब्द के स्थान पर “राष्ट्रपति” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(2) खण्ड (2) में “राज्यपाल” शब्द के स्थान पर “राष्ट्रपति” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ख) खण्ड (3) और इस खण्ड के उपखण्ड (क) द्वारा यथा संशोधित अनुच्छेद 243 झ या अनुच्छेद 243 ट में निर्दिष्ट किसी भी बात का यह अर्थ नहीं होगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक ही वित्त आयोग गठित करने अथवा एक ही निर्वाचन आयोग नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति को सीमित किया जा सकेगा ।

[फा.सं. यू.-11025/3/93-यू.टी.एल.]

आर.आर. शाह, सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 1994

S.O. 326(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 243L of the Constitution, the President hereby directs that the provisions of Part IX of the Constitution shall apply to the Union territory of

Dadra and Nagar Haveli, subject to the following exceptions and modifications, namely :—

- (i) in article 243C, in clause (5), in sub-clause (b), for the words "by, and from amongst, the elected members thereof", the words "from amongst the elected members thereof by the Chairpersons of village panchayats and such elected members" shall be substituted;
- (ii) in article 243D, in clause (4), —
  - (1) in the opening portion, the words "the Scheduled Castes," shall be omitted;
  - (2) in the first proviso, —
    - (A) the words "the Scheduled Castes and" shall be omitted;
    - (B) the words "of the Scheduled Castes in the State or" shall be omitted;
- (iii) in article 243-I, —
  - (a) in clause (1), for the words "Governor of a State", the word "President" shall be substituted and for the word "Governor", the word "President" shall be substituted;
  - (b) in sub-clause (c) of clause (1), for the word "Governor", the word "President" shall be substituted,
- (iv) (a) in article 243K, —
  - (1) in clause (1), for the word "Governor", the word "President" shall be substituted;
  - (2) in clause (2), for the word "Governor" the word "President" shall be substituted.
- (b) nothing contained in article 243-I or article 243K, as modified by clause (iii) and sub-clause (a) of this clause, shall be construed so as to restrict the power of the President to constitute a common Finance Commission or to appoint a common Election Commission for the Union territories of the Andaman and Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu and Lakshdweep.

[F. No. U-11025/3/93-UTL]

R. R. SHAH, Jt. Secy.